संख्याः /IV(2)–श0वि0–2025–14(सा0)23 (68207)

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

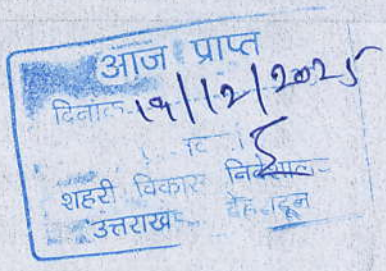

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक– 18 दिसम्बर, 2025**

विषयः मिसिंग लिंक फंडिंग के अन्तर्गत 'गोपीनाथ मंदिर मार्ग (Wisdom Street) **का स्थानीय शैली के माध्यम से निर्माण' कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विभिन्न अवस्थापना परियोजनाओं Funding for Faster Implementation of Important Projects including Missing Link Projects कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावों के चयन के सम्बन्ध में दिनांक 30.06.2023 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न उच्च स्तरीय बैठक में शहरी विकास विभाग हेतु **'गोपीनाथ मंदिर मार्ग** (Wisdom Street) **का स्थानीय शैली के माध्यम से निर्माण'** पर संस्तुति प्रदान की गयी है।

2– अतः उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट' के अन्तर्गत **'गोपीनाथ मंदिर मार्ग** (Wisdom Street) **का स्थानीय शैली के माध्यम से निर्माण'** हेतु रू0 952.82 लाख की प्रशासिनक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए **कुल रू0 381.13 लाख (रूपये तीन करोड़ इक्यासी लाख तेरह हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उक्त कार्य हेतु निविदा जारी करने से पूर्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/ए0एस0आई0 से औपचारिक स्वीकृति/अनापत्ति प्राप्त कर ली जायेगी।

(2) प्रशासनिक विभाग द्वारा आगणन में अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों मदों के प्राविधानों की समीक्षा सुनिश्चित की जायेगी, क्योंकि इस पैमाने की रैखिक परियोजना के लिए गहन निगरानी की आवश्यकता होगी।

(3) उक्त धनराशि **कुल रू0 381.13 लाख (रूपये तीन करोड़ इक्यासी लाख तेरह हजार मात्र)** को नगरपालिका परिषद, चमोली को इलैक्ट्रिक माध्यम/यथा प्रक्रिया अविलम्ब उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(5) आगणन में सम्मिलित की जा रही GST देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय। उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु कार्यदायी संस्था एवं नगर निकाय स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।

(6) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(7) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

(8) यह भी सुनिश्चित् किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा ।

(9) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(10) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(11) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण नगर निकाय के उच्चाधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था द्वारा संयुक्त रूप से अवश्य कर लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुसार कार्य किया जाय।

(12) निर्माण समग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप ही सामग्रियां प्रयोग में लायी जायें।

(13) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वर्तमान में प्रचलित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(14) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय।

(15) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006), दिनांकः 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(16) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी और निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

(17) वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी वित्त विभाग के संख्याः I/287566/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) स्वीकृत योजना के सापेक्ष समयावृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(19) कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व ही योजनाओं को पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए Project Implementation Schedule (CPM/CPERT/BAR CHART) तैयार किया जायेगा, जिससे Cost Overrun and time over run से बचा जा सके।

(20) नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में नियमानुसार अवधि हेतु Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी। जनसुविधार्थ स्वीकृत योजना की कार्यलागत एवं योजना की समयावधि का विवरण सार्वजनिक किया जायेगा।

(21) आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0 / एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु यदि बाजार की दरें ली गई हैं, तो विशिष्टयों तथा दरों में परिर्वतन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदो का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं।

(22) योजना में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री के सम्बन्ध में हरसम्भव यह प्रयास किया जाय कि निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप प्रदेश के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय ताकि प्रदेश के अन्तर्गत रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले एवं राज्य को करों के रूप में राजस्व की भी प्राप्ति हो सकें। इस हेतु ठेकेदारों के साथ किये जाने वाले अनुबन्ध में उक्त का समावेश किया जाय।

(23) कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित निकाय / कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारीगण एवं अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(24) एम0ओ0यू0 के सम्बन्ध में शा0सं0–475 / XXVII(7) / 2008, दिनांक 15.12.2008, शा0सं0–571 / XXVII(1) / 2010, दिनांक 19.10.2010 तथा शा0सं0–426 / XXVII(7) / 2013, दिनांक 22.02.2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(25) उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्यस्थल के फोटोग्राफ्स एवं वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी / अभियंता द्वारा संरक्षित रखे जायेंगे तथा कार्य समाप्ति के एक माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में (कार्यस्थल से सम्बन्धित जियो टैग फोटोग्राफ्स) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

(26) प्रश्नगत प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिनांक 15.01.2024 को सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त (छायाप्रति संलग्न) के क्रमांक 5.1 से 5.6 तक निहित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(27) प्रथम किश्त की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अद्यतन भौतिक / वित्तीय प्रगति के साथ द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–2026 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–07, लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–800–अन्य भवन–17–महत्वपूर्ण स्थापना कार्य (मिसिंग लिंक)–00–53 वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग (अनु0–1) के अशासकीय संख्याः 351600, दिनांक 10.12.2025 में प्राप्त सहमति से संलग्न एलॉटमेंट आई0डी0 संख्याः S25110070017 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

Digitally signed by Santosh Badoni
Date: 18-12-2025 15:37:19

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, वित्त विभाग/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चमोली–गोपेश्वर।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. अधिशासी अधिकारी, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
6. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, चमोली।
7. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, चमोली–गोपेश्वर।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 18-12-2025
17:42:57(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव ।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

Secretary-Secretary, Finance(S013)

HOD-Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -007

आवंटन आई डी-S25110070017
आवंटन पत्र दिनांक-27-NOV-2025

लेखा शीर्षक	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य
	800-अन्य भवन	17-महत्वपूर्ण स्थापना कार्य (Missing Link)
	00--	Voted

4	0	5	9	8	0	8	0	0	1	7	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	31124200	38113000	0	69237200
योग	31124200	38113000	0	69237200

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.3,81,13,000 (Rupees Three Crores Eighty One Lacs Thirteen Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Digitally signed by
Himanshu Khurana
Date: 10-12-2025
11:43:23